न्यूज़ टुडे

संसदीय चयन समिति ने 'आयकर विधेयक, 2025' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की

इस समिति को नए **आयकर विधेयक, 2025** की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था।

समिति ने सुझाव दिए कि भारत के कराधान नियमों को आधुनिक बनाया जाना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कर व्यवस्था निष्पक्ष व पारदर्शी हो और विवाद कम हों।

समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें

- **नए आयकर विधेयक के तहत कर अधिकारियों की शक्तियों को बरकरार रखा गया:** नए आयकर विधेयक के तहत प्रावधान किया गया है कि खोज और जब्ती (search and seizure) की कार्रवाई के दौरान जरूरत पड़ने पर कर अधिकारी सोशल मीडिया एवं निजी ईमेल तक पहुंच सकते हैं, भले ही यह जबरन ही क्यों न हो।
- **परिभाषाओं को अपडेट करना:** "पूंजीगत परिसंपत्ति", "इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी" और "सूक्ष्म व लघु उद्यम" जैसी परिभाषाओं को वर्तमान कानूनों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है।
- **व्यवसाय और स्टार्ट-अप्स को सहयोग:** अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए कर कटौती के नियमों को स्पष्ट करना, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का प्रबंधन करने वाले व्यवसायों को कर में छूट देना, और कर संबंधी अपीलों में "पैरेंट कंपनी" तथा "स्थिति" (status) की परिभाषा को स्पष्ट करना आवश्यक है।

आयकर विधेयक, 2025 के बारे में

यह विधेयक **आयकर अधिनियम, 1961** को बदलने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य कानून की **भाषा को आसान बनाना और अप्रचलित व अनावश्यक प्रावधानों को हटाना** है। इसके **मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:**

- **प्रावधानों में कमी:** इस विधेयक में 1961 के अधिनियम से **283 धाराएं और 24 अध्याय हटा** दिए गए हैं।
- **भाषा को सरल बनाना:** 'वित्त वर्ष' और 'आकलन वर्ष' जैसे शब्दों की जगह **'कर वर्ष'** (tax year) शब्द का उपयोग किया गया है।
- **वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए प्रावधान:** इसमें **"वर्चुअल डिजिटल एसेट्स" और "इलेक्ट्रॉनिक माध्यम"** की परिभाषा दी गई है तथा **उन पर कर लगाने** के नियम भी शामिल किए गए हैं।
- **अन्य:** कर नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है तथा कर दरों में भी कोई संशोधन नहीं किया गया है। इससे करदाताओं के लिए पूर्वानुमानित माहौल बना रहेगा। साथ ही, सभी संशोधनों को एक ही जगह समाहित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार भारत तीव्र गति से भुगतानों में वैश्विक अग्रणी बनकर उभरा है

भारत के **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने वीज़ा को पीछे छोड़** दिया है और यह (UPI) **दुनिया की नंबर एक रियल-टाइम भुगतान प्रणाली** बन गई है।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के बारे में

- यह एक त्वरित भुगतान प्रणाली है, इसे **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)** ने विकसित किया है। NPCI, **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)** के अधीन एक विनियमित संस्था है।
- यह **इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS)** के फ्रेमवर्क पर आधारित है।
- **UPI के पीछे डिजिटल फाउंडेशन:**
  - **प्रधान मंत्री जनधन योजना:** इसके तहत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं।
  - **आधार और डिजिटल पहचान:** इसके माध्यम से सुरक्षित और डिजिटल प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया गया है।
  - **कनेक्टिविटी और 5G क्रांति:** डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाया गया है।

UPI भुगतान व्यवस्था को कैसे बदल रहा है?

- **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के रूप में काम करता है:** यह **ओपन-सोर्स तकनीक** पर आधारित है और पहले के **क्लोज्ड लूप सिस्टम (CLS)** की तुलना में **ग्राहकों को जोड़ने व एकीकरण की लागत को कम** करता है।
  - **नोट:** CLS एक ऐसा भुगतान नेटवर्क है, जिसमें सभी भागीदार (जैसे- भुगतान करने वाला, भुगतान प्राप्त करने वाला और लेन-देन को संचालित करने वाला सिस्टम) एक ही नेटवर्क के भीतर काम करते हैं।
- **आसान एकीकरण: मौजूदा प्रणालियों (चाहे पुरानी हों या नवीन)** को आसानी से जोड़ा जा सकता है। साथ ही, यह रियल-टाइम और बैच सेटलमेंट, दोनों प्रकार की सुविधा को सक्रिय रूप से समर्थन देती है।
- **इंटरऑपरेबिलिटी:** यह उपयोगकर्ताओं की **"चुनने की स्वतंत्रता"** बढ़ाती है और नए सेवा प्रदाताओं को आसानी से प्रवेश करने की सुविधा देती है।
- **सीमा-पार भुगतान निपटान:** प्लेटफॉर्म आधारित व्यवस्था के ज़रिए कई देशों के लिए सीमा-पार धन अंतरण (cross border transfers) की सुविधा देती है।
- **वैश्विक विस्तार:** यह **सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरीशस, फ्रांस और नामीबिया** में संचालित हो रही है।
- **भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में भुगतान** की सुविधा देती है।

देश के उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को अपना त्याग-पत्र सौंपा

वे स्वतंत्र भारत के इतिहास में कार्यकाल पूरा होने से पहले त्याग-पत्र देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति हैं।

- संविधान में प्रावधान है कि यदि किसी कारणवश (मृत्यु, त्याग-पत्र, हटाए जाने आदि) उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो उस रिक्ति को भरने के लिए जल्द-से-जल्द चुनाव कराया जाना चाहिए।
- नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए पद धारण करता है।

भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद	विवरण
अनुच्छेद 63	भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद 64	उपराष्ट्रपति **राज्य सभा का पदेन सभापति** होगा।
अनुच्छेद 65	उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति होने पर, या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान, **राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा या उसके कार्यों का निर्वहन करेगा।**
अनुच्छेद 66	**चुनाव:** > उपराष्ट्रपति का चुनाव एक **निर्वाचक मंडल** द्वारा किया जाएगा, जिसमें **संसद के दोनों सदनों के सदस्य** होंगे। > यह चुनाव **आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली** के अनुसार होगा। **योग्यता:** > वह **भारत का नागरिक** होना चाहिए; > वह **कम-से-कम 35 वर्ष की आयु पूरी** कर चुका हो; > **राज्य सभा** का सदस्य बनने के लिए **पात्र** होना चाहिए आदि।
अनुच्छेद 67	उपराष्ट्रपति **पांच वर्ष की अवधि** के लिए पद धारण करेगा। > उपराष्ट्रपति, अपने **हस्ताक्षरयुक्त पत्र द्वारा राष्ट्रपति को त्याग-पत्र** दे सकता है। > उपराष्ट्रपति को उसके पद से **राज्य सभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प** द्वारा हटाया जा सकता है। संकल्प पर **लोक सभा की सहमति** होनी चाहिए। > उपराष्ट्रपति, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी, तब तक पद पर बना रहता है जब तक **उसका उत्तराधिकारी पदभार ग्रहण नहीं** कर लेता।

संसद सदस्यों ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश किया

न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत कुल 145 लोक सभा सदस्यों ने एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं।

- इसके अलावा, न्यायमूर्ति वर्मा को न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए राज्य सभा के 50 से अधिक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव राज्य सभा के सभापति को सौंप दिया गया है।

न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 124(4):** यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित है।
  - **हटाने के आधार:** सिद्ध कदाचार और अक्षमता।
- **अनुच्छेद 124(5):** यह संसद को यह अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 124(4) के तहत किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत किए जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जांच और सिद्ध करने की प्रक्रिया का कानून के जरिए विनियमन कर सकेगी।
  - यह प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम (1968) द्वारा विनियमित होती है। यह अधिनियम संसद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(5) के तहत बनाया है।
- **अनुच्छेद 217(1)(b):** यह हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित है।
  - इसमें प्रावधान किया गया है कि किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा उसी रीति से उसके पद से हटाया जा सकता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड (4) में उपबंधित किया गया है।
- **अनुच्छेद 218:** यह अनुच्छेद 124 के खंड (4) और खंड (5) की प्रयोज्यता को हाई कोर्ट्स तक बढ़ाता है।

न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया के चरण

प्रारंभ	> **लोक सभा के 100 सदस्यों या राज्य सभा के 50 सदस्यों** द्वारा हस्ताक्षरित पद से हटाने का प्रस्ताव अध्यक्ष/ सभापति के समक्ष भेजा जाता है।
समिति का गठन और जांच	> यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो आरोपों की जांच के लिए **एक तीन सदस्यीय समिति का गठन** किया जाता है। > इस तीन सदस्यीय समिति में **सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश, किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद** शामिल होते हैं। > यदि समिति न्यायाधीश को **कदाचार या अक्षमता** का दोषी पाती है, तो सदन प्रस्ताव पर विचार करता है।
संसदीय अनुमोदन	> प्रस्ताव को पेश करने वाला सदन उसे **विशेष बहुमत (उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत)** से पारित करता है। फिर इस प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाता है, वहां भी इसे **विशेष बहुमत** से पारित करना होता है।
राष्ट्रपति का आदेश	> दोनों सदनों से पारित होने के बाद, पद से हटाने के लिए एक संबोधन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। **इसे उसी सत्र में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाना होता है।** > इसके बाद राष्ट्रपति पद से हटाने का आदेश जारी करता है।

नोट- संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए "महाभियोग" शब्द का कोई उल्लेख नहीं है।

सरकार ने कोयला क्षेत्रक की संधारणीयता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की

भारत के पास दुनिया का **पांचवां सबसे बड़ा कोयला भंडार** है और कोयला देश की ऊर्जा की जरूरतों का 55% पूरा करता है।

- भारत इस क्षेत्रक को **आधुनिक बनाने, पर्यावरण संबंधी अनुपालन बढ़ाने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपना** रहा है।

कोयला क्षेत्रक में संधारणीयता सुनिश्चित करने हेतु पहलें

- **ग्रीनिंग और बायो-रिक्लेमेशन:** खनन हो जाने के बाद उस क्षेत्र में वनरोपण। **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के हरित ऋण कार्यक्रम** में कोयला एवं लिग्नाइट PSU की भागीदारी।
- **खदान के उपचारित जल का उपयोग:** इसका **सामुदायिक आपूर्ति जैसे- सिंचाई, औद्योगिक उपयोग (धूल नियंत्रण, अग्निशमन) और पर्यावरण संबंधी सेवाओं (पुनर्भरण, मछली पालन)** के लिए उपयोग करना।
- **ओवर बर्डन से रेत निकालना: खनन के दौरान निकली अतिरिक्त मिट्टी और पत्थर** (जिन्हें ओवर बर्डन कहा जाता है) से रेत को अलग करना। इससे **नदी पारिस्थितिकी-तंत्र पुनरुद्धार और संधारणीय विकास संभव** होगा।
- **ब्लास्ट-फ्री खनन प्रौद्योगिकी:** खनन हेतु ड्रिलिंग/ ब्लास्ट से बचने के लिए **सरफेस माइनर्स, कंटीन्यूअस माइनर्स व रिपर्स** का उपयोग करना।
- **स्वच्छ कोयला एवं नवीकरणीय ऊर्जा पहल:** इसमें **कोयला गैसीकरण, कोल बेड मीथेन** (CBM) आदि पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

आयात को कम करने हेतु उपाय

- **घरेलू उत्पादन और खपत में वृद्धि:** कोयला ब्लॉक आवंटन, निजी क्षेत्रक की भागीदारी और मंजूरी संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। कोयला आयात को कम-से-कम करने के लिए **अंतर-मंत्रालयी समिति** (IMC) का गठन किया गया है।
- **निकासी और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार:** इसमें नई **रेलवे लाइंस व कोयला परिवहन प्रणालियों को अपग्रेड** करना; फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाएं आदि शामिल हैं।
  - **फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं** का अर्थ उस बुनियादी ढांचे या प्रणाली से है, जो खनिजों या अन्य संसाधनों को खनन स्थल से सीधे मुख्य परिवहन नेटवर्क (जैसे रेलवे स्टेशन, हाईवे, बंदरगाह आदि) तक पहुंचाती है।
- **शक्ति (SHAKTI) नीति के अंतर्गत वित्तीय सहायता:** आयातित कोयले से चलने वाले संयंत्र अब **घरेलू कोयला** अधिक आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
- **कोकिंग कोल मिशन:** इसे **इस्पात क्षेत्रक के लिए घरेलू कोकिंग कोल आपूर्ति** को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।

भारत में छात्र आत्महत्या संकट ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया

कुछ प्रमुख संस्थानों में हुई इन दुखद घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है, और प्रणालीगत सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है।

इस संबंध में भारत से संबंधित आंकड़ें

- NCRB, 2022 के अनुसार **भारत में कुल आत्महत्याओं में से 7.6%** आत्महत्याएं छात्रों द्वारा की गई थी।
- **छात्रों की आत्महत्या दर** छात्राओं की आत्महत्या दर से **अधिक** है।
- **इससे सबसे अधिक प्रभावित तीन राज्य:** महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश हैं।

छात्रों द्वारा आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के पीछे के कारण

- **शैक्षणिक कारण:** इसमें शैक्षणिक असंतोष, तनाव व असफलता, विद्यालय का नकारात्मक माहौल (जैसे सहपाठियों/ शिक्षकों के साथ सकारात्मक जुड़ाव की कमी, उत्पीड़न, अपमान, अलगाव आदि) शामिल हैं।
- **संस्थागत कारण:** इसमें बुलीइंग, जातिगत भेदभाव, रैगिंग, प्रतिकूल संस्थागत संस्कृति, साथियों का दबाव आदि शामिल है।
- **पारिवारिक मुद्दे:** उदाहरण के लिए- पारिवारिक संघर्ष और अस्थिरता (तलाक, अलगाव, वित्तीय कठिनाइयां आदि); माता-पिता की ओर से उपेक्षा; किसी प्रियजन की मृत्यु; अवसाद या अन्य मानसिक बीमारियों का इतिहास; बचपन के खराब अनुभव; सोशल मीडिया की लत आदि।
- **सामाजिक कारण:** मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और मदद लेने को लेकर हीन भावना।

छात्रों को आत्महत्या करने से रोकने के लिए उठाए गए कदम

- **मनोदर्पण: शिक्षा मंत्रालय** का यह कार्यक्रम **परामर्श हेल्पलाइन और लाइव इंटरैक्टिव सत्रों** के माध्यम से अब तक लाखों छात्रों की मदद कर चुका है।
- **राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करना है।
- **सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स:** इसका उद्देश्य छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटना, शैक्षणिक संस्थानों में आत्महत्याओं की रोकथाम से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श करना तथा निवारक उपायों की सिफारिश करना है।
- **जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** का यह कार्यक्रम **767 जिलों** को कवर करता है। इसमें स्कूलों एवं कॉलेजों में आत्महत्या रोकथाम सेवाएं और लाइफ स्किल प्रशिक्षण शामिल हैं।
- **मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम:** IITs में तनाव प्रबंधन और सहनशीलता पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।
- **UGC की सलाह:** उच्चतर शिक्षा संस्थानों को शारीरिक फिटनेस, खेल, छात्र कल्याण एवं भावनात्मक कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए।

अन्य सुर्ख़ियां

डार्क पैटर्न्स

केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बावजूद डार्क पैटर्न्स ट्रिक्स OTT प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स को **अवांछित सब्सक्रिप्शन, छिपे हुए शुल्कों** (हिडन चार्ज) में फंसा रही हैं।

डार्क पैटर्न्स के बारे में

- ये **डिज़ाइन और चॉइस बनावटों का उपयोग कर** उपभोक्ताओं को ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं, जो उनके हित में नहीं होते। इनका उद्देश्य उपभोक्ताओं को **भ्रमित करना, मजबूर करना या गुमराह करना** होता है।
  - डार्क पैटर्न्स में कई प्रकार की हेरफेर करने वाली गतिविधियां शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए- **ड्रिप प्राइसिंग, प्रच्छन्न विज्ञापन, बेट एंड स्विच, फॉल्स अर्जेंसी** आदि।
- **2023 में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण** (CCPA) ने **"डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन हेतु दिशा-निर्देश, 2023"** की अधिसूचना जारी की थी।
  - इसके माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत **13 प्रकार के डार्क पैटर्न्स को अनुचित व्यवसाय-व्यवहार** घोषित किया गया।

अनुच्छेद 324

भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त शक्तियां उसे निर्वाचक नामावली (Electoral rolls) तैयार करने सहित चुनाव के सभी पहलुओं के अधीक्षण और **निर्देशन** का पूर्ण अधिकार प्रदान करती हैं।

- **अनुच्छेद 324(1):** संसद, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली **तैयार करने तथा इन चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास** होगा।
  - उपर्युक्त किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए **अनुच्छेद 326 के तहत भारतीय नागरिकता की आवश्यकता निर्धारित** की गई है।
- **अनुच्छेद 326:** इसके अनुसार, **कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है,** मतदान कर सकता है।
  - हालांकि, **संविधान या किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं होने पर वह मताधिकार का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं** रह जाता है।

बिल ऑफ लैडिंग बिल 2025

हाल ही में, संसद ने **'बिल ऑफ लैडिंग विधेयक 2025'** पारित किया।

बिल्स ऑफ लैडिंग बिल 2025 के बारे में

- इसका उद्देश्य शिपिंग डाक्यूमेंट्स के लिए **कानूनी फ्रेमवर्क को अपडेट करना और सरल** बनाना है।
- इसे **इंडियन बिल्स ऑफ लैडिंग एक्ट, 1856** की जगह लाया गया है।
- **बिल ऑफ लैडिंग** एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो **मालवाहक कंपनी (freight carrier)** द्वारा **भेजने वाले (shipper)** को जारी किया जाता है।
  - इसमें अग्रलिखित जानकारियाँ शामिल होती हैं: भेजी जाने वाली वस्तु का प्रकार, वस्तु की मात्रा, स्थिति, गंतव्य स्थान।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्र-नितल प्राधिकरण (International Seabed Authority: ISA)

ISA की बैठकों के बावजूद नए **डीप सी माइनिंग नियमों पर आम सहमति नहीं** बन पाई है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नितल प्राधिकरण (ISA) के बारे में

- **मुख्यालय:** किंग्स्टन (जमैका)।
- **परिचय:** यह एक स्वायत्त अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना **संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS) 1982** और **समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के भाग XI के कार्यान्वयन से संबंधित समझौता (1994 एग्रीमेंट) के तहत की गई थी।**
  - ISA वह संगठन है जिसके माध्यम से UNCLOS के पक्षकार देश "एरिया" में खनिज संसाधनों से संबंधित सभी गतिविधियों का आयोजन और नियंत्रण करते हैं, ताकि समस्त मानवता के हित में उनका लाभ सुनिश्चित किया जा सके।
- **मुख्य कार्य:** डीप सी बेड (गहरा समुद्र नितल) से संबंधित गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले हानिकारक प्रभावों से **समुद्री पर्यावरण की प्रभावी संरक्षण** सुनिश्चित करना।
- **सदस्य:** 170 (भारत सहित)।

नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने **नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स** (NLED) **को अपडेट** किया है।

नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स (NEDL) के बारे में

- **पहली बार NEDL को 2019 में** भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा जारी किया गया था।
- **उद्देश्य:** यह विभिन्न स्वास्थ्य-देखभाल केंद्रों; जैसे कि **ग्रामीण, उप-स्वास्थ्य केंद्र/आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC)** आदि पर उपलब्ध **न्यूनतम आवश्यक डायग्नोस्टिक टेस्ट्स** की सूची प्रदान करती है।
- **संशोधित NEDL सूची में उप-स्वास्थ्य केंद्र स्तर** पर सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस B और सिफलिस के लिए त्वरित **डायग्नोस्टिक टेस्ट** उपलब्ध कराना शामिल हैं।
  - इसमें **उप स्वास्थ्य केंद्र** स्तर पर **डेंगू की जांच के लिए सैंपल एकत्र करने** की भी सिफारिश की गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (MOVCDNER)

केंद्रीय मंत्री ने असम के लिए MOVCDNER की **क्रियान्वयन अवधि को एक साल के लिए बढ़ाने की घोषणा** की है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (MOVCDNER) के बारे में

- इसे **2015-16 में** लॉन्च किया गया।
- **लक्ष्य:** भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती की (Organic farming) अपार क्षमता का उपयोग करना।
- **कार्यान्वयन:** यह योजना **अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में** लागू की जा रही है।
- **उद्देश्य:** प्रमाणित जैविक उत्पादन को वैल्यू चेन मॉडल में विकसित करना ताकि ऑर्गेनिक वस्तुओं के उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच प्रत्यक्ष और सशक्त संबंध स्थापित हो सके।
- **कवरेज:** यह कार्यक्रम जैविक बीजों और उत्पाद प्रमाणपत्रों के प्रदान करने से लेकर जैविक उत्पादों के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन के लिए सुविधाएं स्थापित करने तक की सभी प्रक्रियाओं को शामिल करता है।

मेरी पंचायत एप्लिकेशन

मोबाइल एप्लिकेशन "मेरी पंचायत" को प्रतिष्ठित **वर्ल्ड समिट ऑन द इन्फॉर्मेशन सोसाइटी (WSIS) प्राइज 2025-चैंपियन पुरस्कार** से सम्मानित किया गया है।

मेरी पंचायत एप्लिकेशन के बारे में

- **उद्देश्य:** यह भारत की पंचायतों के लिए **m-गवर्नेंस प्लेटफार्म** है। इसका उद्देश्य **2.65 लाख ग्राम पंचायतों में 25 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना** है, जिससे ग्रामीण शासन में **डिजिटल तकनीक का समावेश** हो सके और पारदर्शिता लाई जा सके।
- **क्रियान्वयन मंत्रालय:** यह केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय तथा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की पहल है।
- **लाभ:**
  - रियल टाइम में पंचायत बजट की जानकारी उपलब्ध कराना,
  - ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (GPDPs) उपलब्ध कराना,
  - ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान प्रदान करना,
  - सोशल ऑडिट टूल्स, फंड के उपयोग से संबंधित डेटा उपलब्ध कराना,
  - शिकायत निवारण प्रणाली जिसमें **जियो-टैग्ड और जियो-फेंस सुविधाएं** शामिल हैं।

भारत NCX

हाल ही में **'भारत NCX 2025' का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन** किया गया ,

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास (भारत NCX 2025) के बारे में

- यह **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय (NSCS)** द्वारा **राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU)** के सहयोग से आयोजित किया गया।
- **उद्देश्य:**
  - देश की **साइबर सुरक्षा क्षमता और साइबर अटैक से निपटने की तैयारी** को मजबूत करना, और
  - **वास्तविक साइबर अटैक जैसी स्थितियों का अभ्यास** कराना।
- **मुख्य विशेषताएं:** लाइव-फायर साइबर सिमुलेशन, AI-एकीकृत साइबर डिफेंस प्रशिक्षण।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

लेसोथो (राजधानी: मासेरू)

भारत के विदेश राज्य मंत्री की यात्रा के दौरान **भारत और लेसोथो द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर सहमत** हुए हैं।

- **भौगोलिक अवस्थिति:** यह दक्षिण अफ्रीका से पूरी तरह घिरा हुआ एक स्थल-रुद्ध देश (Landlocked country) है।

भौगोलिक विशेषताएं

- इसे **"किंगडम इन दी स्काय"** के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह **दुनिया का एकमात्र देश** है जो पूरी तरह से **समुद्र तल से 1,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर** स्थित है।
- **पर्वत:** इस देश का दो-तिहाई हिस्सा पहाड़ियों से ढका हुआ है।
- **सबसे ऊंची चोटी:** थबाना नटलेनयना (3,482 मीटर)।
- **महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां :**
  - **ड्रेकेन्सबर्ग पर्वत** (पूर्वी सीमा पर),
  - **मालोटी पर्वत** (उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार)।
- **सफेद सोना (White Gold):** लेसोथो का **प्रमुख प्राकृतिक संसाधन जल** है, जिसे अक्सर **'सफेद सोना'** कहा जाता है।

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची